रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 28 नवम्बर, 1985/7 अग्रहायण, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 28 नवम्बर, 1985

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6) 8/85.—हिमचाल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अधीन तारीख 25 अक्तूबर, 1985 को राष्ट्रपति

2446-राजपत्र/85—28-11-85—1201 (2717) मूल्य : 20 पैसे।

महोदय द्वारा यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विद्रूपिता निवारण) विधेयक, 1985 (1985 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 1985 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
मृगेंद्र सिंह,
सचिव ।

1985 का अधिनियम संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विद्रूपिता निवारण) अधिनियम, 1985

(राष्ट्रपति द्वारा 25 अक्तूबर, 1985 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में जनता को दृष्टिगोचर स्थानों की, विज्ञापनों द्वारा विद्रूपिता निवारण और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक मामलों के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विद्रूपिता निवारण) अधिनियम, 1985 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

1980 का 9

(3) यह हिमाचल प्रदेश नगर-निगम अधिनियम, 1979 के अधीन गठित नगरनिगम शिमला में समाविष्ट क्षेत्रों में तुरन्त प्रवृत्त होगा और राज्य के शेष भागों में ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "विज्ञापन" से अभिप्रत है कोई मुद्रित, साइक्लोस्टाइल की गई, टंकित या लिखित सूचना, दस्तावेज, कागज-पत्र या ऐसी चीज जिसमें कोई पत्र, शब्द, चित्र, संकेत या दृश्य रूपण हो, अन्तर्विष्ट हो;

(ख) "जनता को दृष्टिगोचर स्थान" के अन्तर्गत कोई प्राइवेट स्थान या भवन, स्मारक, मूर्ति, खंभा, दीवार, बाड़, वृक्ष या युक्ति है जो किसी सार्वजनिक स्थान में, या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को दिखाई देता हो;

(ग) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान (जिसके अन्तर्गत सड़क, मार्ग, रास्ता चाहे वह सार्वजनिक हो या न हो) जहां जनता की पहुंच है और उसे रहने का अधिकार है या जिस पर उसे चलने का अधिकार है ।

विज्ञापनों द्वारा अनधिकृत विद्रूपिता के लिए शास्ति।

3. जो कोई, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना, जिसकी ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता हो कोई विज्ञापन चिपकायेगा, परिमिमित करेगा, अन्तर्लिखित करेगा या प्रदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मासतक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे विज्ञापन पर लागू नहीं होगी जो—

(i) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता है यदि उस विज्ञापन का सम्बन्ध उस भवन में चलाए गये व्यापार, व्यवसाय या कारबार से है; या

(ii) उस भूमि या भवन के भीतर जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है चलाए गए किसी व्यापार, व्यवसाय या कारबार से या ऐसी भूमि या भवन के उसमें की किसी चीज, वस्तु के विक्रय या किराये पर देने से, या उस पर या उसमें किये गये किसी विक्रय, मनोरंजन या बैठक से सम्बन्धित है; या

(iii) उस भूमि या भवन के जिस पर या जिसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, नाम से या ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से सम्बन्धित है ; या

(iv) रेल प्रशासन से सम्बन्धित है और किसी रेल स्टेशन के भीतर या रेल की किसी दीवार या अन्य सम्पति पर प्रदर्शित किया जाता है ।

कतिपय मामलों में सबूत का भार।

4. जहां किसी व्यक्ति को धारा 3 के अधीन अपराध करने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां यह साबित करने का भार उस पर होगा कि उस धारा में निर्दिष्ट लिखित अनुज्ञा उसके पास थी।

दुष्प्रेरकों के लिए दण्ड।

5. जो कोई किसी भी रीति से धारा 3 के अधीन कोई अपराध करता है, या उपाप्त करता है या उसके लिए परामर्श देता है, सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है या उस का उपसाधन बनता है, वह दोषसिद्धि पर अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित किया जाएगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

6. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी है वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात, ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध कम्सनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या न्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी घोर उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजन के लिए--

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण।

7. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

अपराधों का संज्ञान।

1974 का 2

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध उस संहिता के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जायेगा ।

अन्य विधियों का प्रभावित न होना।

9. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त हैं और उनके अल्पीकरण में नहीं हैं।

नियम बनाने की शक्ति।

10. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा । यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या उपर्युक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व, राज्य विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह उस परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व राज्य विधान सभा सहमत हो जाये कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जायेगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

शिमला-2, 28 नवम्बर, 1985

संख्या एल0एल0 आर0-डी0 (6) 23/85.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 26 नवम्बर, 1985 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (अमेण्डमेंट) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्यांक 5) को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
मृगेन्द्र सिंह,
सचिव ।

Ordinance No. 5 of 1985.

THE HIMACHAL PRADESH BOARD OF SCHOOL EDUCATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1985

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Thirty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 (Act No. 14 of 1968).

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make and promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Board of School Education (Amendment) Ordinance, 1985.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 4.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 (hereinafter called the principal Act);

(*a*) for the existing sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

(1) The Board shall consist of the Chairman and of the following members, namely:—

I. Ex-Officio Members:

(*a*) the Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh or his representative;

(*b*) the Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh or his representative;

(*c*) the Registrar, H. P. University;

(*d*) the Director of Education, Himachal Pradesh;

(*e*) the Director of Primary Education, Himachal Pradesh;

(*f*) the Director-*cum*-Principal, Medical College, Himachal Pradesh; and

(*g*) the Director of Technical Education, Himachal Pradesh;

II. Elected Members:

(*i*) three persons elected by the Himachal Pradesh Legislative Assembly from amongst its members;

III. Nominated Members (*to be nominated by Government*):

(*j*) one Inspecting Officer of the Education Department of Himachal Pradesh;

(*k*) one Principal representing Government Colleges of Himachal Pradesh;

(*l*) one representative of Managing Committees of privately managed schools in Himachal Pradesh;

(*m*) three Heads of High and Higher Secondary Schools, one each of the Government, non-Government and Girls High and Higher Secondary Schools;

(*n*) one member to secure representation of such interests as are not otherwise represented; and

IV. Co-opted Member:

(*a*) one member to be co-opted by the Board for expert and wide knowledge of school education, from the winners of national awards for teachers failing which from the winners of State awards for teachers; and

(*b*) in sub-section (2) for the brackets and letter "(*c*)", the brackets and letter "(*i*)" shall be substituted.

3. For section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of section 18.

"18. *Chairman.*—(1) The Government shall nominate/appoint a person to be the Chairman of the Board amongst eminent educationists or administrators, on such terms and conditions and for such period as may be prescribed by the Government.

(2) If, the Chairman (*a*) wilfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act, or (*b*) abuses the power vested in him, or (*c*) if it appears to the Government that the continuance of the Chairman in office is detrimental to the interests of the Board; the Government may by order remove the Chairman."

HOKISHE SEMA,
Governor.

SHIMLA:
The 26th November, 1985.

MRIGANDER SINGH,
Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.

शिमला-2, 28 नवम्बर, 1985

क्रमांक एल.एल. आर. डी (6) 22/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 26 नवम्बर, 1985 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (अमेण्डमेण्ट) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्यांक 4) को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
मृगेंद्र सिंह,
सचिव।

Ordinance No. 4 of 1985.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1985

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Thirty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970).

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Ordinance, 1985.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 12.

2. In section 12 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 (hereinafter called the principal Act), 17 of

(*a*) in sub-section (3) for the word "three" wherever it occurs, the word "five" shall be substituted; and
(*b*) sub-section (6) shall be omitted.

Amendment of section 21.

3. In sub-section (1) of section 21 of the principal Act,—

(*a*) after item (*v*), the following item (*v-a*) shall be added, namely:—
"(*v-a*) the Chairman, Himachal Pradesh Board of School Education;";

(*b*) the word "and" appearing at the end of item (*xii*) shall be omitted; and
(*c*) for the sign "." occurring at the end of item (*xiii*), the sign ";" shall be substituted and thereafter the following new items (*xiv*) and (*xv*) shall be added, namely :—

"(*xiv*) one representative of the lecturers of Colleges affiliated to the University to be chosen by direct election; and
(*xv*) one representative of the lecturers of the University, lecturers of the Directorate of Correspondence Course and the lecturers of the University Evening College to be chosen by direct election."

Amendment of section 49.

4. The existing section 49 of the principal Act, shall be re-numbered as sub-section (1) and thereafter the following new sub-section (2) shall be added, namely:—

"(2) If a person who is a member of any authority of the University, as a representative of another body, whether of University or not,

or any person who becomes a member of any authority of the University by virtue of the office held by him, he shall cease to be a member of such authority, if before the expiry of the term of his membership, he ceases to be a member of that other body by which, or he ceases to hold such office by virtue of which, he was nominated, appointed or elected, and his office shall become vacant."

Insertion section 5(

5. After section 49 of the principal Act, the following section 50 shall be added, namely:—

"50. *Actions not to be invalid merely in view of a defect in the constitution and functioning of any body of the University.*— If, due to any reason whatsoever, the Court, Academic Council or any other body of the University has not been constituted, it would be lawful for the Executive Council to exercise the duties of the bodies or authorities not constituted, and no action of the University shall be invalid merely because of certain defect in the constitution or procedural irregularity in the functioning of any of its bodies."

HOKISHE SEMA,
Governor.

SHIMLA:
The 26th, November, 1985.

MRIGANDER SINGH,
Secretary (Law).